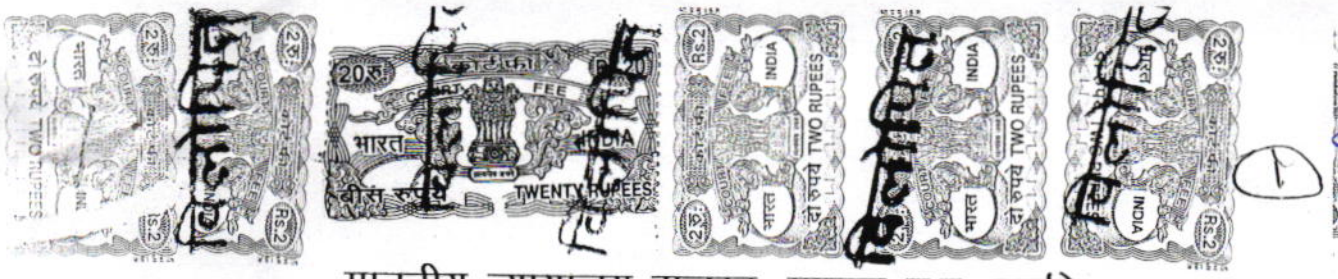

113

माननीय न्यायालय राजस्व, मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. / /2016 निगरानी निग-2603-I-16

श्री ब्रजेन्द्र सिंह चौहान
द्वारा आज दि. 02/8/16 को
प्रस्तुत
रीडर ऑफ कोर्ट 2-8-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विनोद सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम कोट तहसील गोरमी परगना मेंहगांव जिला भिण्ड म.प्र. ....आवेदक

बनाम

1. रामप्रकाश सिंह पुत्र सूबासिंह
2. जितेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रकाश सिंह
3. शिवकुमारी बेवा अर्जुन सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम कोट तहसील गोरमी जिला भिण्ड म.प्र.
4. धीरसिंह पुत्र जिलेदार सिंह
5. किशनसिंह पुत्र श्याम सिंह
6. कप्तान सिंह पुत्र स्वरूप सिंह
7. शिवसिंह पुत्र स्वरूप सिंह
8. लाखन सिंह पुत्र स्वरूप सिंह
9. लायकसिंह पुत्र स्वरूप सिंह
10. रामश्री पत्नी शिवसिंह
11. शान्ती पत्नी श्यामसिंह
12. सोनकली बेवा बहुादर सिंह
13. साहब सिंह पुत्र बहादुर सिंह
14. देवेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह
15. सचिन सिंह पुत्र चरन सिंह नाबालिग सरपरस्थ माँ सुनीता बेवा चरन सिंह
16. सुनीता बेवा चरन सिंह
17. महावीर सिंह पुत्र महाराज सिंह
18. प्रहलाद सिंह पुत्र महाराज सिंह
19. अंगद सिंह पुत्र महाराज सिंह सभी जाति ठाकुर सभी निवासी ग्राम कोट तहसील गोरमी परगना मेंहगांव जिला भिण्ड म.प्र. ....अनावेदकगण

ब्रजेन्द्र सिंह चौहान
02/08/16

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

जिला भिण्ड

प्रकरण कमांक 2603-एक/2016 निगरानी

न तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभा''ाकों आ के हस्ताक्षर
5-8-16	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव जिला भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 52/2015-16 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 18-7-2016 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। वस्तुस्थिति यह है कि तहसीलदार गोरमी व्दारा प्रकरण कमांक 27/2012713 अ-27 में पारित आदेश दिनांक 6-7-2016 से पक्षकारों के बीच किये गये बटवारे के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसके संलग्न मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 का आवेदन स्थगन प्राप्ति हेतु प्रस्तुत हुआ। अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 18-7-16 से अपील सुनवाई में लेकर पॅजीबद्व कर ली एंव प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु पेशी 5-8-18 नियत की, किन्तु आर्डरशीट दिनांक 18-7-16 के आगे पुनश्च कर अंकित कर दिया कि तहसीलदार गोरमी से चर्चा हुई । प्रकरण में नियमानुसार एंव जमीन की किस्म के अनुसार बटवारा किया है। अत: धारा 52 का आवेदन निरस्त किया जाता है। 3/ विचार का बिन्दु है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव ने अंतरिम आदेश दिनॉक 18-7-16 से स्थगन आवेदन निरस्त करने में भूल की है। संहिता की धारा 52 व्यवस्था दी गई है कि यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर है कि वह प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार कर स्वविवेकानुसार स्थगन दिये जाने अथवा न देने पर निर्णय ले सकते हैं, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के अंतरिम आदेश दिनॉक 18-7-16 के अवलोकन से परिलक्षित है कि उन्होंने स्थगन आवेदन निरस्त करने हेतु जो कारण दर्शाए हैं वह उचित प्रतीत नहीं होते हैं क्यों अनुविभागीय अधिकारी का यह निर्णय कि तहसीलदार गोरमी से चर्चा हुई । प्रकरण में नियमानुसार एंव जमीन की किस्म के अनुसार बटवारा किया है एक प्रकार से	

निर्णायक मनस्थिति अनुसार होना प्रतीत है । अतः अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 18-7-16 का पुनश्च भाग त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर Speakding order पारित करें।

सदस्य